Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. DCB/1/2018/MCVL1/SEPROM/RU-III

Date: 20.02.2019

To,

1. The Chairman-cum- Managing Director,
Air India,
Airlines House ,113,
Gurudwara Rakabganj Road,
New Delhi-110001

2. The Secretary,
Civil Aviation,
Safdarjung Airport,
New Delhi - 110003

Sub: Proceeding of sitting taken by Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on. 22.01.2019 in the matter Shri Dinesh Chandra Bhasker, Dy. Manager, Staff No. 23114/80005868 and others regarding discrimination in promotion by selection exercise making 10-12 junior employees senior in violation of Constitutional Provisions, existing Recruitment and Promotion Rules and Provisions.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the sitting taken by Shri Nand Kumar Sai' Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 22.01.2019 for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within a week.

Encl: As above

Yours faithfully,

21/2/2019

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy to:

1. Shri Dinesh Chandra Bhasker, Dy. Manager, Staff No. 23114/80005868 email dcbhasker@airindia.in
2. Mrs. P.G.N. Jogina, Dy. Manager, Staff No. 22466 E-mail: pgnjogina@airindia.in
3. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
4. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(DCB/1/2018/MCVL1/SEPROM/RU- III)

श्री दिनेश चंद्र भास्कर, उप प्रबंधक, एयर इंडिया व अन्य द्वारा प्रमोशन में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने और भेदभावपूर्ण तरीके से 10-12 वर्ष कनिष्ठ कर्मियों को प्रमोशन देकर वरिष्ठ बनाने के संबंध में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में श्री नन्द कुमार साय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 22/1/2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग का कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 22/1/2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट 'क'

(1.) श्री दिनेश चंद्र भास्कर, उप प्रबंधक, एयर इंडिया व अन्य ने प्रमोशन मामले में अनियमितता बरतने और भेदभावपूर्ण तरीके से कनिष्ठ कर्मियों को प्रमोशन देकर वरिष्ठ बनाने के मामले में आयोग को अभ्यावेदन दिया था।

(2.) मामले में संज्ञान लेकर आयोग द्वारा दिनांक 21-02-2018 को एयर इंडिया को नोटिस भेजा गया था।

(3.) मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग द्वारा दिनांक 20-03-2018 को एयर इंडिया के मुख्य प्रबंध निदेशक के साथ बैठक निर्धारित की गई थी।

(4.) मामले में अभ्यावेदक श्री दिनेश चंद्र भास्कर व अन्य द्वारा बताया गया था कि एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस का विलय दिनांक 01-04-2007 में होने के बाद पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों की मैनेजमेंट कैटेगरी में प्रोन्नति के लिए दिनांक 15-01-2009 में आंतरिक चयन द्वारा प्रमोशन प्रक्रिया पूरी हुई थी। जिसमें पूर्ववर्ती एयर इंडिया के कर्मचारियों से 10-12 वर्ष कनिष्ठ पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों का प्रमोशन वर्तमान प्रक्रिया को बदल कर बिना लिखित परीक्षा के ही किया गया, इसे सीधी भर्ती बताया गया। इसमें ओबीसी वर्ग को भी आरक्षण दिया गया जो चयन द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया में लागू नहीं होता है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(5.) दोनों कंपनियों के विलय होने के बाद कर्मचारियों से संबंधित मामले पर विचार के लिए सरकार द्वारा जस्टिस धर्माधिकारी कमिटी गठित की गई थी। कमिटी की रिपोर्ट के अनुसार दोनों पूर्ववर्ती कंपनियों में जिस कंपनी के कर्मी का कार्यकाल किसी भी ग्रेड में ज्यादा होगा वह कम कार्यकाल वाले कर्मी से वरिष्ठ रहेगा। वर्ष 2007 के बाद किसी कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति दिया गया है तो उससे वरिष्ठ कर्मी को प्रोफार्मा प्रमोशन दिया जाएगा।

(6.) पुनः मामले में दिनांक 07-08-2018 को बैठक आहूत की गई थी। बैठक में आयोग द्वारा जस्टिस धर्माधिकारी कमिटी की अनुशंसा (पैरा 3.19) के अनुसार कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकारियों (सहायक प्रबंधक) को उनके समकक्ष पूर्ववर्ती इंडियन एयरलाइंस के कर्मियों के अनुसार प्रोफार्मा प्रमोशन व बकाया भत्ता दिए जाने की अनुशंसा की गई। एयर इंडिया को दो सप्ताह में कार्रवाई रिपोर्ट जमा करने को कहा गया था लेकिन एयर इंडिया द्वारा दिनांक 10-10-2018 तक कोई जवाब नहीं भेजा गया।

(7.) पुनः मामले में दिनांक 10-10-2018 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक निर्धारित की गई। आयोग को ज्ञात हुआ कि इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के विलय संबंधी मामलों के लिए भारत सरकार अंतिम प्राधिकारी है। आयोग ने पिछली अनुशंसाओं पर कार्रवाई को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार को भी अनुशंसा की प्रति भेजने का निर्देश दिया था तथा एयर इंडिया द्वारा की गई कार्रवाई पर 5 दिन में जवाब मांगा गया था लेकिन जवाब प्राप्त नहीं होने पर आयोग द्वारा दिनांक 27-11-2018 को स्मरण पत्र भेजा गया था।

(8.) दिनांक 24-12-2018 को एयर इंडिया की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसमें दिनांक 04-12-2018 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पत्र का हवाला दिया गया था जिसमें मंत्रालय को मामले की जांच करने तथा नियमानुसार एयर इंडिया को निर्देशित करने को कहा गया था।

(9.) आयोग द्वारा मामले में पुनः दिनांक 22-01-2019 को बैठक आहूत करने के लिए दिनांक 16-01-2019 को नोटिस जारी की गई थी। दिनांक 22-01-2019 को बैठक में एयर इंडिया की ओर से दिए गए जवाब के साथ संलग्न पत्र की अमर्यादित भाषा को लेकर अप्रसन्नता व्यक्त की गई। जिसे देखते हुए एयर इंडिया के अध्यक्ष सह मुख्य प्रबंध निदेशक

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

द्वारा उक्त पत्र वापस ले लिया गया तथा शीघ्र ही आयोग के समक्ष नया पत्र एवं कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया।

(10.) आयोग ने इस मामले में निम्नलिखित अनुशंसा की –

- एयर इंडिया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजे गए आपत्तिजनक पत्र को वापस लेकर नई कमेटी गठित करे और परीक्षण कर जल्द नई रिपोर्ट उक्त मंत्रालय एवं आयोग के समक्ष प्रस्तुत करे। इस संबंध में निर्णय प्रक्रिया एवं चैनल से निदेशक (कार्मिक) एयर इंडिया को पृथक रखा जाए।
- आयोग द्वारा एयर इंडिया को नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन दिन का समय दिया गया।
- चूंकि मामले में पूर्व में ही काफी विलम्ब हो चुका है अतः नागरिक उड्डयन मंत्रालय सभी तथ्यों के आधार पर मामले का विस्तृत परीक्षण करे और एयर इंडिया को उचित व न्यायसंगत दिशा निर्देश प्रदान करे।

18.02.019

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट - क

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(DCB/1/2018/MCVL /SEPROM /RU- III)

श्री दिनेश चंद्र भास्कर, उप प्रबंधक, एयर इंडिया व अन्य द्वारा प्रमोशन में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने और भेदभावपूर्ण तरीके से 10-12 वर्ष कनिष्ठ कर्मियों को प्रमोशन देकर वरिष्ठ बनाने के संबंध में आयोग को दिए गए अभ्यावेदन के मामले में श्री नन्द कुमार साय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 22/1/2019 को आयोग में आयोजित सिटिंग में उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों की सूची –

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**
  - (1.) श्री नंद कुमार साय, अध्यक्ष
  - (2.) श्री हरिकृष्ण डामोर, सदस्य
  - (3.) श्री हर्षदभाई चुन्नीलाल बसावा, सदस्य
  - (4.) श्री ए. के सिंह, सचिव
  - (5.) श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
  - (6.) श्री आलोक कुमार द्विवेदी, परामर्शक
- **एयर इंडिया के अधिकारी**
  1. श्री पी एस खरोला, सीएमडी
  2. श्री वी एस हेमजाडी, डीएफ
  3. पी एस नेगी, ईडी(एम एम)
  4. आर जे सिंहा, ईडी (पर्स.)
  5. मीनाक्षी कश्यप, जीएम (एल ओ, एसटी-एससी)
- **नागरिक उड्डयन के अधिकारी**
  1. श्री एस के मिश्रा, संयुक्त सचिव, एमओसीए
- **अभ्यावेदनकर्ता**
  1. श्री दिनेश चंद्र भास्कर
  2. श्रीमती पी जी एन जोगिना
  3. श्री मनोज कुमार
  4. रीना एस कुमार